

**कार्यालय वित्त अधिकारी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
रावतभाटा रोड, कोटा।**

क्रमांक. वमखुवि/लेएवंवि/स्था (01)/14/ 5015

दिनांक : 05.04.14

कार्यालय-आदेश

कुलसचिव, कार्यालय के आदेश क्रमांक प2/वमखुवि/स्था./2013/प्रे./15828-34 दिनांक 14.11.2013 द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2014 से रु. 250/- प्रतिमाह देय स्टेशनरी भत्ता (पेन, पेंसिल, ग्लास आदि) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प4(32) वित्त1(1)/ आ.व्य./2012 दिनांक 27 जनवरी, 2014 के अनुसार, लेखा शीर्ष के सवेतन के स्थान पर "कार्यालय व्यय/आकस्मिक व्यय" मद से प्रभारित किया जाएगा। साथ ही संबंधित कर्मचारियों से स्टेशनरी भत्ते की राशि के विरुद्ध क्रय की गई स्टेशनरी का बिल भी प्राप्त किया जावेगा।

यह आदेश माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ईकाई प्रभारियों EMPC को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही हेतु आवश्यक बिल एवं आवश्यक प्रमाणन लेखा एवं वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाने का श्रम करें। सभी आधिकारिक लेख कार्यालयों की website में download करें।

उप कुलसचिव (लेएवंवि)

(466)
EMP
267
14/4/14